न्यायालय सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2963 सन् 2026

राजेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र सरदार सिंह, निवासी ग्राम रतौली, थाना सरधना, जिला मेरठ।
.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–339 सन् 2003,
(सत्र वाद संख्या 2047 सन् 2026)
अन्तर्गत धारा– 307 भा0दं0सं0
थानाः–खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

01. यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण में जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि
अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

03. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किये हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को झूँठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। इन कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

04. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए मेरे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत मामले के निस्तारण में विलम्ब हुआ है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है।

05. प्रपत्रों का परिशीलन किया।

06. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जमानत पर था। विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त अनुपस्थित हो गया, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किए गए। यद्यपि अभियोजन की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित कियागया है, परन्तु अभियोजन की ओरसे दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र के निष्पादन में दिनांक 19.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को पुनः जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1. दौराने विचारण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में नियत तिथियों पर उपस्थित आता रहेगा,
2. विचारण में सहयोग करेगा,
3. गवाह उपस्थित होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 08.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.

आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.08 17:48:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court